

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-516 / 2011

संस्थित दिनांक –11.07.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

बुधनसिंग पिता जोगी बैगा, उम्र 65 वर्ष
साकिन आवास टोला, खुर्सीपार थाना गढ़ी,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-28 / 08 / 2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506(भाग-दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-15.06.2011 को दिन के 9:00 बजे ग्राम खुर्सीपार थाना गढ़ी अंतर्गत फरियादी सुकवारो को लोक स्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करते हुए धारदार पत्थर से आहत सुकवारो को मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-15.06.2011 को 6:00 बजे ग्राम खुरसीपार आवास मोहल्ला थाना गढ़ी जिला बालाघाट अन्तर्गत आरोपी ने फरियादी के साथ बिजली के बिल का भुगतान को लेकर वाद-विवाद होने पर फरियादी सुकवारोबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण किया तथा पत्थर से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त घटना में आहत सुकवारो बाई के दाहिने आंख के ऊपर चोट आयी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी/आहत सुकवारो बाई द्वारा थाना गढ़ी में दर्ज करायी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-30 / 11, धारा-294, 323, 506(भाग-दो) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-15.06.2011 को 6:00 बजे ग्राम खुरसीपार आवास मोहल्ला थाना गढ़ी जिला बालाघाट अंतर्गत फरियादी सुकवारोबाई लोकस्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी वह अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर पत्थर को धारदार हथियार की तरह प्रयोग में लाते हुए फरियादी/आहत सुकवारो बाई को दाहिनी आँख के ऊपर मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत सुकवारोबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना सुबह 9-10 बजे की है। आरोपी ने बिजली के बिल के भुगतान के संबंध में विवाद करते हुए उससे लडाई करने लगा और गंदी-गंदी गाली देने लगा, जो उसे सुनने में बुरी लगी। आरोपी ने उसे पत्थर से सिर पर मारा, जिससे उसे सिर पर चोट आयी थी। उसने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लिखायी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी हमेशा दारू पीकर किसी को भी गाली देता रहता है, आरोपी की गाली देने की आदत से उसकी गाली का बुरा नहीं मानते। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी किसको गाली दे रहा था, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी नाम देकर गाली नहीं बक रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दिया था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा कथित अश्लील शब्दों का उच्चारण करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के संबंध में किये गये कथन में साक्षी स्थिर नहीं रही है।

6— फरियादी सुकवारोबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा पत्थर मारने से सिर पर चोट आना प्रकट किया है, जिसका खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे धोखे से मार दिया था, किन्तु घटना के समय आरोपी से साक्षी का

वाद-विवाद होने और उसके पश्चात् आरोपी के द्वारा पत्थर से उसे मार दिये जाने के तथ्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने उक्त विवाद के चलते ही आहत को उपहति कारित करने के आशय से पत्थर मारकर चोट पहुंचायी थी।

7— आहत का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डाक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि आहत सुकवारो बाई को दाहिने हाथ में चोट आयी थी, जिसके ईलाज हेतु उसे नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी गई थी, उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार फरियादी/आहत सुकवारोबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में उसे सिर पर चोट आने के कथन किये हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र साक्षी चम्पाबाई (अ.सा.2) एवं केसरीबाई (अ.सा.3) ने घटना के समय आरोपी के द्वारा पत्थर से मारने के कारण आंख में चोट लगने के कथन किये हैं, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अभियोजन मामला भी इस प्रकार है कि आरोपी ने घटना के समय आहत सुकवारोबाई को पत्थर से मारकर आंख में चोट पहुंचायी थी। अभियोजन की ओर से आहत को आयी आंख की चोट के संबंध में नेत्र रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट पेश कर अतिरिक्त चिकित्सीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इस प्रकार मामले में यह प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा आहत सुकवारो बाई को पत्थर से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की गई थी।

8— आरोपी के द्वारा मारपीट के दौरान उपयोग किये गये पत्थर की जप्ती नहीं की गई है। आहत सुकवारोबाई का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सीय साक्षी एन.एस.कुमरे (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में आहत को आयी चोटों के संबंध में धारदार वस्तु से चोट आना प्रकट नहीं किया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी.पी.दुबे (अ.सा.6) ने भी अपनी साक्ष्य में उक्त घटना के समय कथित पत्थर को जप्त न किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस प्रकार मामले में यह तथ्य तो प्रमाणित है कि आरोपी ने घटना के समय आहत सुकवारोबाई को मारपीट करते समय पत्थर का उपयोग किया था, किन्तु उक्त पत्थर खतरनाक साधन या धारदार वस्तु के रूप में उपयोग किया गया था, इस तथ्य को अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी दशा में केवल यह प्रमाणित होता है कि आरोपी ने आहत सुकवारोबाई को साधारण चोट पहुंचाने के आशय से उसे पत्थर से मारकर उपहति कारित की थी, जो कि स्वैच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

9— अभियोजन की ओर से स्वयं फरियादी सुकवारोबाई (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी के द्वारा किसी का नाम लेकर गाली-गलौच नहीं की गई थी और उसकी गाली देने की आदत होने से उसकी गाली देने का कोई बुरा नहीं मानता। यद्यपि अन्य स्वतंत्र साक्षी चम्पाबाई (अ.सा.2), केसरीबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी के द्वारा गंदी-गंदी गाली दिये जाने के कथन किये हैं, किन्तु उन साक्षीगण ने भी कथित गालियों सुनने में बुरी लगने के कथन नहीं किये हैं। इस प्रकार आरोपी के द्वारा कथित अश्लील शब्दों के उच्चारण से फरियादी एवं अन्य को क्षोभ कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

10— आरोपी के विरुद्ध फरियादी सुकवारोबाई को जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है, किन्तु स्वयं फरियादी सुकवारोबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में उसे घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित जान से मारने की धमकी दिये जाने से इंकार किया है। उक्त के संबंध में चम्पाबाई (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने जान से मारने की धमकी नहीं दिया था। जबकि केसरीबाई (अ.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा कथित जान से मारने की धमकी दिये जाने के कथन नहीं किये हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा फरियादी सुकवारोबाई को जान से मारने की धमकी दिये जाने के तथ्य के संबंध में कथन नहीं किये हैं। इस कारण यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने फरियादी सुकवारोबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

11— मामले में प्राथमिकी दर्ज करने वाले दिनेश पाल (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने दिनांक-15.06.2011 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक होते हुए फरियादी सुकवारोबाई की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-30/2011, धारा-294, 323, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी.पी.दुबे (अ.सा.6) ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही किये जाने के संबंध में साक्ष्य पेश की है। इस प्रकार मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी एवं अनुसंधान कार्यवाही को उक्त साक्षीगण ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

12— प्रकरण में अभियोजन की ओर आरोपी के विरुद्ध केवल इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है आरोपी ने घटना के समय पत्थर से आहत सुकवारोबाई को साधारण उपहति कारित की थी। आरोपी के द्वारा उक्त पत्थर का उपयोग खतरनाक साधन या धारदार वस्तु के रूप में किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के स्थान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन के द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत सुकवारोबाई को मारपीट स्वैच्छया उपहति कारित किया। अभियोजन के द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी सुकवारोबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो के अन्तर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

14— आरोपी के द्वारा किये गये अपराध को देखते हुए, उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

15— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी ने निवेदन किया है कि उसका यह प्रथम अपराध है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

16— आरोपी के द्वारा वर्ष 2011 से मामले में विचारण का सामना किया जा रहा है, जिसमें वह प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है। आरोपी के द्वारा आहत सुकवारोबाई को मामूली चोट कारित की गई है। आरोपी के विरुद्ध अन्य अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आरोपी के द्वारा किये गये अपराध एवं मामले की परिस्थिति को देखते हुए आरोपी को मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से ही न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अंतर्गत 1,000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यक्तिदण्ड की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

17— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट